WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MAY 2025

MASIK PATRIKA

:wupcci01@gmail.com
wupcc23@yahoo.com
: 0121-2661177
0121-4346686
Website: www.wupcc.org
Address: Bombay Bazar,
Meerut Cantt- 250001

- **Patron**

  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**

  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**

  Shri G.C. Sharma

- **Jr. Vice President**

  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**

  Smt Sarita Agarwal

  Patrika Committee

- **Chairman**

  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**

  Shri Sushil Jain

- **Members**

  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

  Shri Rakesh Kohli

  Shri Trilok Anand

  Shri Rajendra Singh

  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

  Ms. Khushi

INDEX

- 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों के पंजीकरण पर महिलाओं को 1% स्टांप ड्यूटी की छूट दी जाए
- ज्यादा फिक्स्ड चार्ज के दुष्परिणाम भुगतेंगे उपभोक्ता
- कोयले से चलने वाले उद्योगों में बनाए जाने वाले कागज और रसायन महंगे हो सकते हैं
- पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अब रोज लिए जाएंगे 90 आवेदन
- सहूलियत : छह नए बदलावों के साथ आईटीआर फॉर्म–6 जारी
- उद्योगपुरम, स्पोर्ट्स गुड्स कांप्लेक्स और परतापुर यूपीसीडा क्षेत्र का होगा कायाकल्प
- शहर का दायरा बढ़ाते समय ही तय होगा भू–उपयोग, अवैध कालोनी बसाने के धंधे पर लगेगा अंकुश
- यूपी में अब बिना लाइसेंस नहीं चलेगा फूड बिजनेस, योगी सरकार ने अनवार्य किया रजिस्ट्रेशन
- मेडा ने मेनटेनेंस शुल्क में 50 फीसदी तक छूट दी
- बिजली संबंधी शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण
- जेब होगी ढीली, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए उद्योगों को खर्च करना होगा ज्यादा पैसा
- UP के उद्यमियों के लिए अच्छी खबर, समस्याएं हल करने के लिए लागू होगा सिंगल विंडो कानून
- बाजार की मांग के अनुरूप एमएसएमई इकाइयों को खुद को ढालना होगा
- उत्तर प्रदेश में अब निजी निवेशक भी बस अड्डा व टूरिस्ट बस पार्क बना सकेंगे
- आगरा में बनेगा UP का पहला ' फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स', MSME को मिलेगा बढ़ावा
- जीएसटी में आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य
- सालाना 50 लाख तक की कमाई वालों के लिए आईटीआर फॉर्म–1 और 4 अधिसूचित
- जेम पोर्टल पर विदेशी विक्रेताओं से खरीद की जल्द मिलेगी सुविधा
- डिजिटल फॉर्म–16 से आईटीआर में गड़बड़ी की आशंका खत्म होगी

- यूपी में असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा, ये सुविधा भी मिलेगी
- प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हर व्यक्ति को सुविधा और सस्ता न्याय मिले की योजना अब होगी लागू, मेरठ मंडलायुक्त ने नागरिकों के मिलने का मार्ग किया आसान
- खेल, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का मॉडल बनेगा मेरठ
- 10 जून से शुरू हो सकता संपर्क मार्ग
- अब घर पर प्रिंट कर सकते हैं सौ रुपये तक का ई-स्टांप
- The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), has announced expansions to the Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS), enhancing financial support available to India's innovation ecosystem .
- Tax refund scheme for exports extended to EoUs, SEZ units.
- Govt's equity infusion scheme for MSMEs crosses Rs 10,000 crore in investments: MSME Ministry .

1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों के पंजीकरण पर महिलाओं को 1% स्टांप ड्यूटी की छूट दी जाए

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं के नाम होने वाली 1 करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए । वर्तमान में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर लागू है । अगर यह निर्णय अमल में आता है तो लाखों महिलाओं को घर या जमीन खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट तय करते समय किसी इलाके के विकास, शहरीकरण और वहां मौजूद सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए । उन्होंने कहा कि एक जैसे इलाकों में रेट में भारी अंतर नहीं होना चाहिए, जिससे आम आदमी को नुकसान न हो. साथ ही रजिस्ट्री से पहले भूमि के दस्तावेजों और मालिक की जांच अनिवार्य करने का निर्देश भी दिया गया है इससे फर्जीवाड़े और जमीन विवादों में कमी आएगी।

इस बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 में जहां करीब 11 हजार करोड़ रुपये का स्टांप राजस्व था, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. सिर्फ एक साल में यानी 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में 11.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे स्पष्ट है कि सरकार की ई-गवर्नेंस और पारदर्शी व्यवस्था का फायदा मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा जनहित का फैसला सुझाया है. उन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे पर अधिकतम 5 हजार रुपये का स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस ली जाए. यह नियम उस स्थिति में लागू होगा जब संपत्ति किसी व्यक्ति और उसके तीन पीढ़ियों तक के उत्तराधिकारियों में बंटी हो. इससे परिवारों में विवाद कम होंगे और कानूनी प्रक्रिया भी आसान बनेगी।

इस बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश के 45 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है, बाकी 30 जिलों में काम जारी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट पुनरीक्षण तार्किक तरीके से किया जाए ताकि लोगों को उसका सही लाभ मिले मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री कार्यालयों की दशा सुधारने पर भी जोर दिया उन्होंने निर्देश दिए कि सभी दफ्तरों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त स्टाफ, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाएं हों. साथ ही कहा कि विभाग से जुड़ी सभी सेवाएं जैसे ई-पेमेंट, ऑनलाइन स्टांप जनरेशन, विवाह प्रमाण पत्र डिजीलॉकर में, संपत्ति भारमुक्त प्रमाणपत्र, कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग आदि पूरी तरह ऑनलाइन की जाएं ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

ज्यादा फिक्स्ड चार्ज के दुष्परिणाम भुगतेंगे उपभोक्ता

ऊर्जा मंत्री भले ही अदाणी पावर से मिलने वाली बिजली को सस्ती बता रहे हैं लेकिन वर्तमान में जिन 113 पावर प्लांट से पावर कारपोरेशन बिजली खरीदता है उनमें से अदाणी पावर का फिक्स्ड चार्ज सबसे ज्यादा है। अन्य पावर प्लांट में से सर्वाधिक फिक्स्ड चार्ज अदाणी पावर का होने पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि इस प्लांट की बिजली अंततः महंगी पड़ेगी, जिसका दुष्परिणाम कहीं न कहीं उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ेगा। दरअसल, कैबिनेट ने प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया के तहत अदाणी पावर लिमिटेड द्वारा मीरजापुर में स्थापित किए जाने वाले 1600 मेगावाट के प्लांट की 1500 मेगावाट बिजली 25 वर्षों तक खरीदने का निर्णय किया है। यह बिजली 5.38 रुपये प्रति यूनिट होगी। इसमें फिक्स्ड चार्ज 3.727 रुपये प्रति यूनिट और फ्यूल चार्ज 1.656 रुपये प्रति यूनिट है।

कोयले से चलने वाले उद्योगों में बनाए जाने वाले कागज और रसायन महंगे हो सकते हैं ।

कोयला से संचालित होने वाली इकाइयों में बनने वाले उत्पादों की कीमत अब बढ़ सकती है, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने सिंगरौली पुनर्स्थापन शुल्क लगाया है। यह शुल्क 300 रुपये प्रति टन है जोकि एक मई से प्रभावी हो गया है। इस शुल्क को वापस लेने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पेपर मिल पावर प्लांट ओनर्स एसोसिएशन की ओर से कोयला मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। एसोसिएशन का मानना है कि इस शुल्क के कारण कोयले की कीमत 50 से 90 प्रतिशत बढ़ सकती है।

मेरठ, मुजफ्फरनगर मुरादाबाद, रामपुर, गोरखपुर आदि शहरों में पेपर मिल व रसायन उद्योग कोयले का उपयोग करते हैं। एसोसिएशन के समन्वयक ने बताया कि 300 रुपये बेस प्राइस में जोड़े जाने से कुल प्रभाव 500 से 900 रुपये प्रति टन तक हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम, रायल्टी एवं अन्य उपकर भी बेस प्राइस पर आधारित होते हैं। इस वृद्धि से कोयले की कीमत में 50 से 90 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो रही है। इससे उत्पादन लागत में भारी इजाफा होगा, जो अंतिम उपभोक्ता तक स्थानांतरित होकर मुद्रास्फीति बढ़ाएगा और देश की जीडीपी निकास दर को प्रभावित करेगा। कोयले से प्रिंटिंग पेपर, न्यूज प्रिंट पेपर, क्राफ्ट पेपर तथा बोर्ड निर्माता उत्पाद बनाते वहीं रसायन उद्योग में भी कोयले का उपयोग होता है। सभी अपनी इकाइयों में कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) स्थापित कर स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन करते हैं, जिसमें अधिकांश कोयले का प्रयोग होता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में मध्यप्रदेश के एक उद्यमी ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की थी जिस तो उसे स्टे मिल गया। इसी तरह से अब मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद समेत कई जिलों व प्रदेशों में उद्यमी अपील दाखिल करने पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें स्टे मिल जाए। एसोसिएशन ने कोयला मंत्री से मांग रखी है कि यह शुल्क छूट पूरे देश में सभी को समान रूप से सरकार द्वारा लागू किया जाए।

पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अब रोज लिए जाएंगे 90 आवेदन

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद के मेरठ समेत चार डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के लिए अच्छी खबर है। आगरा, मेरठ, वृंदावन और सहारनपुर में 13 मई से प्रतिदिन पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए अधिक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इन केंद्रों पर पासपोर्ट आवेदन की दैनिक सीमा 90 निर्धारित कर दी गई है। मेरठ के कैंट डाकघर के परिसर में बने केंद्र में अभी तक यह सीमा 80 थी। वहीं पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेटके लिए 10 आवेदन प्रतिदिन की सीमा तय की गई है। यह जानकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने दी है। मेरठ में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों की मांग तेजी से बढ़ी है। स्लाट की संख्या सीमित होने से लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.passportindia.gov.in के माध्यम से ही आवेदन करें।

सहूलियत : छह नए बदलावों के साथ आईटीआर फॉर्म-6 जारी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने बीते बुधवार को संशोधित आईटीआर-फार्म-6 जारी किया है। भारत के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक फॉर्म-6 का बदला हुआ स्वरूप एक अप्रैल, 2025 से लागू कर दिया गया है।आयकर विभाग ने नया फॉर्म जारी करते हुए बताया कि सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिएकंपनियों के लिए लागू संशोधित आईटीआर-फॉर्म 6 की 'गजट अधिसूचना जारी कर दी है। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए लागू होगा। यह संशोधन आयकर अधिनियम की धारा 139 के साथ धारा 295 के तहत आयकर नियम, 2025 के जरिये से पेश किए गए हैं। इसका मकसद पारदर्शिता और नियामकीय और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बेहतर अनुपालन की सुविधा देना है।

पहला बदलाव अधिसूचित पूंजीगत लाभ कर के बंटवारे को लेकर है। इसके तहत 23.07.2024 से पहले और उसके बाद हुए पूंजीगत लाभ को अलग-अलग किया गया है। इसके लिए आयकर नियम, 1962 की अनसूची-।। में दिए गए आईटीआर-फॉर्म 6 के प्रारूप को को पूरी तरह से बदल दिया गया है

बड़े बदलावों में शेयर बायबैक से हुई पूंजीगत हानि को मंजूरी देना शामिल है। इसमें अगर किसी शेयर से लाभांश आय को अन्य स्रोतों से आय के रूप में दिखाया जाता है, तो शेयर बायबैक की वजह से हुई पूंजीगत हानि को आईटीआर में शामिल किया जा सकता है। नुकसान एक अक्तूबर, 2024 के बाद का होना चाहिए।

नए फॉर्म में कंपनियों को कई खुलासे करने को कहा गया है, इनमें पैन, सीआईएन और कॉर्पोरेशन की डेट जैसी जानकारियां देनी होंगी।

रिटर्न फाइल करते हुए कंपनियों 4 को कंपनी की प्रकृति स्पष्ट करनी होगी कि कंपनी घरेलू है या विदेशी। इसके अलावा कंपनी ने पहले अपना नाम बदला है या नहीं।

कंपनियों को अपना कारोबार शुरू करने की तारीख बतानी होगी। इसके साथ ही पंजीकृत कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी का विवरण भी देना होगा।

उद्योगपुरम, स्पोर्ट्स गुड्स कांप्लेक्स और परतापुर यूपीसीडा क्षेत्र का होगा कायाकल्प

प्रदेश के 32 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यूपीसीडा ने बनाई कार्ययोजना, इसी के तहत होगा विकास

प्रदेश के 32 औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने विकास की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के हवाले कर दी गई है। यूपीसीडा ने इन औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प की कार्ययोजना तैयार कर ली है। मेरठ के तीन औद्योगिक क्षेत्र उद्योगपुरम, परतापुर यूपीसीडा क्षेत्र व स्पोर्ट्स गुड्स कांप्लेक्स हैं, जिनका विकास होगा।

इन औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं व साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगमों को सौंपी गई थी। नगर निगमों की लापरवाही के चलते लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की समस्या बनी हुई है। यूपीसीडा की तरफ से औद्योगिक विकास को लेकर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं में कई उद्योगपतियों ने इस समस्या को उठाया था। औद्योगिक विकास मंत्री के निर्देश पर यूपीसीदा ने अब इन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की है। यूपीसीडा के सीईओ ने बताया कि फिलहाल पहले चरण में इन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़े की समस्या का समाधान करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कई कंपनियों का चयन कर लिया गया है। जल्द ही कूड़ा प्रबंधन का कार्य शुरू कर सभी औद्योगिक क्षेत्रों को साफ-सुथरा बनाया जाएगा।

उद्योगपुरम व परतापुर यूपीसीडा क्षेत्र में शुरू हुआ कार्य : उद्योगपुरम व परतापुर यूपीसीडा क्षेत्र के लिए पहले ही टेंडर हो गया था। इसका विकास कार्य अटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से शुरू कर दिया गया है। वहीं, स्पोर्ट्स गुड्स कांप्लेक्स को अब शामिल किया है।

स्पोर्ट्स गुड्स कांप्लेक्स भी शामिल, उद्यमियों ने जताई खुशी : पहले उद्योगपुरम और परतापुर यूपीसीडा क्षेत्र को शामिल किया गया था। उसमें कार्य भी शुरू हो चुका है। अब स्पोर्ट्स गुड्स कोप्लेक्स को भी शामिल कर लिया गया है। प्रदेश सरकार के इस कदम पर उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों ने खुशी जताई है। उद्यमियों ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ स्पोर्ट्स गुड्स कांप्लेक्स की स्थापना हुई थी, उसकी पूर्ति के लिए विकास कार्य विधिवत नहीं हुए थे। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहां भी मिल सकेंगी।

इस तरह होगा औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार। (डिजाइन चित्र)

ये होंगे प्रमुख कार्य

- प्रवेश द्वार का निर्माण, गार्ड रूम व निगरानी के लिए कक्ष।
- एफडीआर तकनीक से सड़क निर्माण
- सड़कों पर लेन को अलग करने के लिए मार्किंग व डिवाइडर निर्माण
- कर्ब स्टीन लगाकर उसे पेट करना।
- सड़कों में कैट आइ लगेगी ताकि अंधेरे में सड़क व लेन का पता चल सके
- सड़कों के किनारे वैध आदि की स्थापना
- नाली-नाला निर्माण, इसके लिए पुलिया निर्माण
- पेयजल आपूर्ति के लिएओवरहेड टैंक का निर्माण, ट्यूबवेल व पेयजल पाइप लाइन की स्थापना
- फुटपाथ का निर्माण
- कचरा प्रबंधन व प्रदूषण मुक्त करने से संबंधित कार्य। तीन साल के लिए मरम्मत टेडर होगा। नगर निगम के साथ कूड़ा निस्तारण का समझौता होगा।
- पार्क व लैंडस्केपिंग कार्य
- भूमिगत विद्युत केबल
- इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन

शहर का दायरा बढ़ाते समय ही तय होगा भू-उपयोग, अवैध कालोनी बसाने के धंधे पर लगेगा अंकुश

यूपी में शहर का दायरा बढ़ाते समय ही भू-उपयोग तय किया जाएगा। इससे अवैध कालोनी बसाने के धंधे पर अंकुश लगेगा। इसका प्रावधान नगर योजना और विकास अधिनियम में होगा। आए दिन भू-उपयोग की आड़ में विकास प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी निर्माणकर्ता को नोटिस जारी करते हैं। साथ ही उनका आर्थिक शोषण भी होता है। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में कृषि और हरित क्षेत्र की भूमि पर होने वाले निर्माण पर अंकुश लगाने की तैयारी है। इसके तहत शहर की सीमा का विस्तार करते ही उसका भू-उपयोग निर्धारित कर दिया जाएगा। इससे मास्टर प्लान में भी स्थिति साफ रहेगी। अवैध कॉलोनियों की बसावट पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नगर योजना और विकास अधिनियम में इसका प्रावधान किया जा रहा है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। शहरों का सीमा विस्तार करते समय भू-उपयोग का निर्धारण नहीं होता है। इसका प्रावधान मास्टर प्लान बनाते समय किया जाता है। इसका फायदा उठाते हुए कॉलोनाइजर शहरी सीमा में शामिल किए गए क्षेत्रों में कृषि व ग्रीन बेल्ट की भूमि पर धड़ाधड़ अवैध निर्माण कर देते हैं। इनको बाद में नियमित करना प्राधिकरणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसका खामियाजा जनता को भी उठाना पड़ता है।

यूपी में अब बिना लाइसेंस नहीं चलेगा फूड बिजनेस, योगी सरकार ने अनिवार्य किया रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश में अब कोई भी रेस्टोरेंट या फूड व्यवसाय बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकेगा। राज्य भर में अप्रैल से चल रहे पंजीकरण अभियान को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में सभी फूड कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अभियान का मकसद है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इसमें ढाबा, ठेला, रेहड़ी से लेकर बड़े होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण इकाइयों को शामिल किया गया है। फूड विभाग की टीमें हर जिले में कैंप लगाकर व्यवसायियों को ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की सुविधा दे रही हैं। अभी भी कई छोटे-बड़े व्यापारी इस प्रक्रिया से नहीं जुड़े हैं, जिन्हें विभाग लगातार जागरूक कर रहा है।

31 मई के बाद होगी सख्त कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मई के बाद बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फूड कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत अब तक हजारों फूड व्यापारियों ने पंजीकरण करा लिया है।

मेडा ने मेनटेनेंस शुल्क में 50 फीसदी तक छूट दी

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने सीवर मेनटेनेंस शुल्क में भवन/भूखंड स्वामियों को बड़ी राहत दे दी है। बकाया बिलों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। यह योजना 31 जुलाई तक लागू रहेगी। 30 प्रतिशत से50 प्रतिशत तक की छूट दे दी है। मेडा सचिव ने बताया कि बकाया मेनटेनेंस बिल में ब्याज पर छूट दी जाएगी। इसमें 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर 50 फीसदी, 101 से 150 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर 35 फीसदी, 150 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों पर 30 फीसदी ब्याज की छूट मिलेगी। गैर आवासीय भूखण्डों को 30 फीसदी ब्याज पर छूट दी जाएगी।

बिजली संबंधी शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ने मंगलपांडे नगर स्थित 1912 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। गर्मी के सीजन में फाल्ट बढ़ने से काफी संख्या में फोन काल आती हैं। जिससे काल ड्राप की समस्या होती है। प्रबंध निदेशक ने शिकायत दर्ज प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये कस्टमर केयर सेंटर 1912 पर 15 नग नए कंप्यूटर तथा 30 नग अतिरिक्त मैन पावर की स्वीकृति दी। कस्टमर केयर सेंटर में एक अप्रैल से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 234 कर दी गई, इससे उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने में आसानी हुई। साथ ही काल ड्राप में भी 50 प्रतिशत तक की कमी आई है।

जेब होगी ढीली, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए उद्योगों को खर्च करना होगा ज्यादा पैसा

प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण शुल्क में बड़ा बदलाव किया है, जिससे उद्योगों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। अलीगढ़ जिले के लगभग 5 हजार उद्योगों को अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेंगी। विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण शुल्क में बड़ा बदलाव किया है, जिससे उद्योगों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। अभी तक उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक बार आरंभिक शुल्क देना होता था, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के लिए उस शुल्क का आधा ही भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब, नए नियम के अनुसार, उद्योगों को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के समय आरंभिक शुल्क के बराबर ही शुल्क देना होगा। इस बदलाव से जिले के हजारों छोटे-बड़े उद्योगों पर सीधा असर पड़ेगा। यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे उद्योगों को पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

रंगों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण

विभाग ने पहली बार उद्योगों को उनके प्रदूषण उत्सर्जन के स्तर के आधार पर तीन अलग-अलग रंगों में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण लाल, नारंगी और हरे रंग पर आधारित है। लाल रंग के उद्योग वे हैं जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, नारंगी रंग के उद्योग उनसे कम प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं, जबकि हरे रंग के उद्योगों का प्रदूषण स्तर सबसे कम है। यह नया वर्गीकरण शुल्क निर्धारण और निगरानी प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

लाल रंग वाले उच्च प्रदूषण वाले उद्योग		**शुल्क रुपये में पुराना शुल्क-नया शुल्क**
सूक्ष्म	-	7500- 12500
लघु	-	25000- 37500
मध्यम	-	50000- 75000
बड़े	-	100000- 150000

UP के उद्यमियों के लिए अच्छी खबर, समस्याएं हल करने के लिए लागू होगा सिंगल विंडो कानून

उत्तर प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही सिंगल विंडो कानून लागू करेगी। अब उद्योगों को एनओसी के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कानून में प्रावधान है कि विभागों को तय समय में एनओसी जारी करनी होगी वरना कार्रवाई होगी। इस कानून से नक्शा पास कराने और भूमि आवंटन में भी समय की बचत होगी जिससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

उद्योग स्थापित करने के लिए अब उद्यमियों को NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उद्यमियों की इस समस्या का हल कराने के लिए सरकार जल्द ही सिंगल विंडो कानून (सिंगल विंडो एक्ट) लागू करने की तैयारी कर रही है।

कानून में यह प्रविधान भी किया जा रहा है कि सभी प्रकार की एनओसी विभागों को निर्धारित समय में ही जारी करनी पड़ेंगी। निर्धारित समय में एनओसी न जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वाले तमाम उद्यमियों की तरफ से लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें एनओसी व कारखानों के भवनों का नक्शा पास कसंबंधित विभागों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने सिंगल विंडो व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए अब कानून बनाने की रूपरेखा तैयार की है।

इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यूपीसीडा व इन्वेस्ट यूपी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे

औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GEIDA), बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BEIDA) सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों से सुझाव लेकर सिंगल विंडो कानून का मसौदा तैयार किया जा चुका है।
वर्तमान में उप्र में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पावर कारपोरेशन तथा राजस्व, उद्योग, श्रम, अग्निशमन सहित 23 विभागों से एनओसी लेना पड़ता है।

बाजार की मांग के अनुरूप एमएसएमई इकाइयों को खुद को ढालना होगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की सूक्ष्म, लघु और मझोली (एमएसएमई) इकाइयों को बदलते बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को निरंतर ढालना (अद्यतन) होगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एमएसएमई केंद्र है, इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े युवाओं की क्षमता संवर्धन के लिए ठोस रणनीति अपनाई जाए उन्होंने निर्देश दिए कि 'सीएम-युवा' योजना के अंतर्गत नए उद्यमियों को ऋण देने से पूर्व उन्हें विधिवत और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अवश्य प्रदान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के समग्र विकास, उद्यमिता के विस्तार, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की एमएसएमई इकाइयां स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ-साथ बड़े उद्योगों के लिए एंकर यूनिट के रूप में भी कार्य कर रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं, जो राज्य के कुल निर्यात में करीब 46 प्रतिशत का योगदान कर रही हैं और 1.65 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल', 'लोकल टू ग्लोबल' और 'ब्रांड यूपी' के मंत्र को साकार करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को रणनीतिक रूप से अधिक सशक्त बनाए जाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शिल्पकला, कृषि आधारित उत्पादन और नवाचार पर आधारित उद्यमशीलता को अब वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का उपयुक्त समय है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य की योजनाएं युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और ग्रामीण समाज के आर्थिक सशक्तीकरण को केंद्र में रखकर बनाई जाएं और इनकी सतत निगरानी भी सुनिश्चित हो।
स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' (सीएम युवा) के अंतर्गत 3.21 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि 56 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एक लाख वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से ऋण वितरण हो। इसके लिए बैंकिंग संस्थानों से समन्वय सशक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ऋण देने से पूर्व चयनित युवाओं को विधिवत प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश में अब निजी निवेशक भी बस अड्डा व टूरिस्ट बस पार्क बना सकेंगे

प्रदेश में निजी बस अड्डों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। दो एकड़ जमीन पर इन बस अड्डों की स्थापना की जा सकेगी। इसके लिए योगी कैबिनेट ने उप्र स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति-2025 को स्वीकृति दे दी है। डीएम की अध्यक्षता में गठित होने वाली नियामक प्राधिकारी समिति पर इन बस अड्डों-पार्क की स्थापना के आवेदन लेने और अनुमति देने का जिम्मा रहेगा।
पास की गई नीति के अनुसार, इन बस अड्डों-पार्क की स्थापना के लिए कम से कम दो एकड़ भूमि होना आवश्यक होगा। आवेदक की नेटवर्थ बीते वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 लाख रुपये और टर्नओवर कम से कम दो लाख रुपये होना भी अनिवार्य किया गया है। बस अड्डे की स्थापना के लिए आवेदक एकल या कंसोर्टियम के रूप में आवेदन कर सकता है।

आगरा में बनेगा UP का पहला 'फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स', MSME को मिलेगा बढ़ावा

अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ने बताया कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Flatted Factory Complex) जनपद आगरा (Agra) में बनाया जायेगा. इसकी पूरी रूप रेखा तैयार की जा चुकी है. आगरा के फाउण्ड्री नगर में एमएसएमई (MSME) के लिए 05 एकड़ क्षेत्र में 125 करोड़ रुपये की लागत से इस कॉम्पलेक्स का निर्माण होगा. इससे कम स्थान पर अधिक उद्यम स्थापित हो सकेंगे अपर मुख्य सचिव ने बताया कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स 04 फ्लोर का होगा. हर तल पर उद्यमियों को फैक्ट्री लगाने हेतु स्थान आवंटित किये जाएंगे. इस कॉम्पलेक्स में 68 फैक्ट्रियां लग सकेंगी. उन्होंने बताया कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स शहर में होने के कारण बाजार से दूरी कम होगी. आसानी से फैक्ट्री का माल विक्रेताओं तक पहुंच सकेगा. साथ ही एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम भी मिल सकेगा. उन्होंने बताया कि आगरा जनपद के उद्यमियों से फीडबैक लेकर इस प्रोजेक्ट को शुरू कराने का निर्णय लिया गया है. फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त होगा. इसमें जूते, चप्पल, एसी, कूलर, साइकिल, छोटे गैर मोटर चलित वाहन, चाय की पैकिंग, ब्लाक मेकिंग, प्रिंटिंग, काटन व ऊलन होजरी, हैण्डलूम, कारपेट, चमड़े की कटिंग व सिलाई, इलेक्ट्रिक लैम्प, कढ़ाई, मैन्यूफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्रीज, लाइट इंजीनियरिंग आदि प्रदूषण रहित उद्यम स्थापित किये जा सकेंगे.

जीएसटी में आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 22 मई 2024 से जीएसटी पोर्टल पर आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब, जब भी आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, आपके सामने आधार वेरीफिकेशन की विंडो नजर आएगी। पहले, आधार वेरीफिकेशन के साथ-साथ लेटर रिमाइंडर की विंडो भी नजर आती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी पंजीकृत करदाता अपने आधार को जीएसटी के साथ लिंक करें। आज से जीएसटी पोर्टल पर जब आप login करेंगे। तोआपके सामने आधार वेरिफिकेशन की विंडो नजर आएगी। जबकि आज से पूर्व आधार वेरिफिकेशन के साथ-साथ Later रिमाइंडर की भी विंडो भी नजर आती थी। जिसे आज22.5.2024 से बंद कर दिया गया है। जिससे स्पष्ट है। कि जीएसटी विभाग सभी पंजीकृत करदाता को आधार से लिंक करना चाहता है। उसी के तहत यह कदम उठाया गया है। फिर भी टैक्स प्रोफेशनल आधार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं। तो डैशबोर्ड के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर काम कर सकते हैं? लेकिन आज नहीं तो कल आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य होने वाला है। जैसा कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 25(6 B) तथा नियम 10 (B) के अनुसार आधार से लिंक होना जरूरी है

सालाना 50 लाख तक की कमाई वालों के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और 4 अधिसूचित

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 को अधिसूचित कर दिया है। साथ ही, सूचीबद्ध शेयरों से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ(एलटीसीजी) वाले व्यक्तियों के लिए रिटर्न भरना आसान बनाया गया है। विभाग ने आयकर कानून की धारा 80सी, 80 जीजी और अन्य के तहत दावे की गई कटौती के संबंध में फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। साथ ही, करदाताओं को टीडीएस कटौती के संबंध में आईटीआर में पूरा विवरण देना होगा। विभाग की ओर से जब आईटीआर भरने कीएलटीसीजी का लाभ लेने वाले भी भर सकेंगे फॉर्म अब वेतनभोगी व्यक्ति और अनुमानित कराधान योजना के तहत आने वाले व्यक्ति जो एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक एलटीसीजी का लाभ लेते हैं, वे भी क्रमशः आईटीआर-1 और आईटीआर-4 भर सकेंगे। पहले इन लोगों को आईटीआर-2 दाखिल करना होता था। आयकर कानून के तहत, सूचीबद्ध शेयर और म्यूचुअल फंड की बिक्री से 1.25 लाख रुपये तक के एलटीसीजी को कर से छूट दी गई है। 1.25 लाख रुपये सालाना से अधिक के लाभ पर 12.5 फीसदी कर लगता है। जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना है, वे 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

जेम पोर्टल पर विदेशी विक्रेताओं से खरीद की जल्द मिलेगी सुविधा

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर जल्द ही दर अनुबंध और वैश्विक निविदा सुविधाओं को जोड़ने पर काम कर रहा है। वैश्विक निविदा सुविधाओं के शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं या विदेशी विक्रेताओं से भी खरीद-बिक्री संभव हो सकेगी। इसी तरह, दर अनुबंध के तहत सरकारी खरीदार एक तय अवधि में पूर्व निश्चित कीमतों पर उत्पाद और सेवाएं खरीद सकेंगे। ऐसे में बार-बार बोली लगाने की जरूरत कम हो जाएगी। फिलहाल ये सुविधाएं जेम पोर्टल पर नहीं हैं। जेम के सीईओ मिहिर कुमार ने कहा, हम पोर्टल को और व्यापक बनाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया, जेम ने अब तक 10 लाख से अधिक छोटे उद्योगों, 1.3 लाख से ज्यादा कारीगरों, 1.84 लाख महिला उद्यमियों और 31,000 स्टार्टअप को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है।

डिजिटल फॉर्म-16 से आईटीआर में गड़बड़ी की आशंका खत्म होगी

आयकर विभाग ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल बनाने के लिए डिजिटल फॉर्म-16 की शुरुआत की है। यह पारंपरिक फॉर्म-16 का इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप है। इसकी मदद से अन्य आयकर फॉर्म जैसे 26 एएस और एआईएस से इसका मिलान करने का झंझट समाप्त हो जाएगा। इससे गड़बड़ी और विसंगति की आशंका भी खत्म होगी कर्मचारियों को यह फॉर्म नियोक्ताओं द्वारा जारी होगा, जो आयकर विभाग के ट्रेस (TRACES) पोर्टल से सीधे उपलब्ध होगा। इनमें वेतन आय, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और सभी कर कटौतियों का सटीक विवरण उपलब्ध होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा है कि दस्तावेज में उपलब्ध जानकारी प्रमाणिक, सुरक्षित और त्रुटिरहित है। इससे रिटर्न दाखिल करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि विवरण में किसी तरह गड़बड़ी या विसंगति होने की आशंका खत्म हो जाएगी। आमतौर पर कंपनियां 15 जून के बाद फॉर्म-16 जारी करती हैं, उसके बाद ही करदाता आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

पारंपरिक फॉर्म की चुनौती: वर्तमान में पारंपरिक फॉर्म-16 में शामिल सभी विवरण को फॉर्म-26 एएस और वार्षिक सूचना विवरणी (एआईएस) से मिलान कराना पड़ता है

कर विवरण को मैन्युअल रूप से भरने में अक्सर गलतियां हो जाती थीं, जिसके कारण रिफंड में देरी होती थी या विसंगतियां सामने आती थीं। लेकिन डिजिटल फॉर्म-16 की मदद से यह समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदिविवरण में किसी तरह गड़बड़ी या विसंगति मिलती है तो सिस्टम तुरंत उसके बारे में बता देगा। इससे करदाता को उसमें सुधार करने का मौका मिल जाएगा

ये विवरण होंगे

1. वेतन के प्रत्येक घटक का विस्तृत विवरण होगा
2. 2. कर-मुक्त भत्तों और कर योग्य लाभों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी
3. 3. धारा 80सी, 80डी, 80ई और 80जी के तहत कटौतियों की विस्तृत सूची होगी
4. 4. नियोक्ता के पैन और टैन नंबर की जानकारी होगी

क्यों जरूरी है यह फॉर्म

फॉर्म-16 आईटीआर दाखिल के साथ-साथ ऋण आवेदन करते समय भी एक अहम दस्तावेज होता है। कई वित्तीय संस्थान इसे आय का प्रमाण मानते हैं और इसी के आधार पर ऋण पात्रता का आकलन करते हैं। इसके अलावा, यदि किसी वेतनभोगी ने अतिरिक्त टीडीएस का भुगतान किया है तो फॉर्म-16 के आधार पर वह रिफंड का दावा भी कर सकता है।

इससे करदाताओं को यह समझने में आसानी होगी कि उनके वेतन का कौन सा हिस्सा कर के दायरे में आता है और कितनी कटौती हुई है। इससे आईटीआर फाइलिंग के समय भ्रम की स्थिति कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएगी। ये बदलाव 20 फरवरी 2025 से प्रभावी हो चुके हैं और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागू होंगे।इसलिए किया गया बदलावः सरकार का मकसद है कि करदाता को सटीक और पूरी जानकारी दी जाए ताकि वे गलती न करें और बेवजह नोटिस न आए। इससे कर व्यवस्थापारदर्शी बनेगी और आईटीआर दाखिल करना पहले से आसान होगा। कुछ सुविधाएं भी कर के दायरे मेंः इसके अलावा नियोक्ता की तरफ से मिलने वाली कुछ सुविधाओं को भीकर के दायरे में जोड़ा गया गया है। अगर कंपनी ने कर्मचारी को मुफ्त में घर दिया है तो इसे अब एक परिलाभ माना जाएगा और इस पर आयकर लग सकता है

यह जरूरी दस्तावेज है, जो नियोक्ता की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें कर्मचारी के वेतन और आय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जानकारी होती है। यह दस्तावेज साबित करता है कि नियोक्ता ने कर्मचारी के वेतन से टीडीएस काटकर आयकर विभाग को जमा कर दिया है। अगर किसी कर्मचारी ने साल के दौरान नौकरी बदली है तब भी हर नियोक्ता से फॉर्म-16 लेना जरूरी होता है। यह फॉर्म दो हिस्सों में बंटा होता है- पार्ट-ए और पार्ट-बी

पार्ट-ए

इस भाग में नियोक्ता की तरफ से हर तिमाही में काटे गए और जमा किए गए कर की जानकारी होती है। इसमें कर्मचारी का नाम, पता, पैन नंबर, नियोक्ता का टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (टैन) और पैन नंबर दिया होता है।

पार्ट-बी

इस भाग में वेतन और आयकर कानून के तहत दी गई कर छूट की विस्तृत जानकारी होती है। इसमें एचआरए, धारा 80सी और 80डी के तहत कटौती (जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पीपीएफ आदि) शामिल होते हैं।

यूपी में असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा, ये सुविधा भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाथ को काम देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त करना होगा। उद्योग बंद कर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता, बल्कि उद्योगों का विस्तार ही अधिकाधिक रोजगार सृजन का माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर न्यूनतम मानदेय की गारंटी सुनिश्चित की जाए। श्रमिक और उद्योगपति एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानूनों को प्रो-इंडस्ट्री और प्रो-श्रमिक दोनों दृष्टियों से संतुलित बनाया जाए। श्रम कानूनों का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए जिससे उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई संभावना न रहे।

मुख्यमंत्री ने श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 'हर हाथ को काम' देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त करना होगा। उद्योग बंद कर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता, बल्कि उद्योगों का विस्तार ही अधिकाधिक रोजगार सृजन का माध्यम है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा मिले, इसके लिए उन्हें सम्मानजनक मानदेय और बीमा सुरक्षा कवच देना अनिवार्य है।

श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा श्रमिक हितैषी और उद्योग समर्थ राज्य बनकर उभरे।

श्रमिक अड्डों में मिलेगा दस रुपये में चाय-नाश्ता

मुख्यमंत्री ने श्रमिक अर्को को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। यहां डॉरमेट्री, शौचालय, पेयजल, कैंटीन और ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि कैंटीन में श्रमिकों को 5-10 रुपये में चाय, नाश्ता और भोजन मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराकर न्यूनतम मानदेय की गारंटी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह असंगठित कार्यबल को संगठित श्रम शक्ति में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल श्रमिकों को केवल आजीविका से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से जोड़ते हुए पुनर्वासन की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जाए। यह न केवल सामाजिक दायित्व है बल्कि भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देने का दायित्व भी है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हर व्यक्ति को सुविधा और सस्ता न्याय मिले की योजना अब होगी लागू, मेरठ मंडलायुक्त ने नागरिकों के मिलने का मार्ग किया आसान

वर्तमान समय में सरकार के हर व्यक्ति को नीतिगत सुविधाऐं व न्याय आसानी से उपलब्ध कराने के प्रयासों के बावजूद सरकारी अफसरों के कार्यालयों में बढ़ रही भींड और कभी कभी दूर दराज के क्षेत्रों से अपनी समस्याऐं लेकर आने वाले नागरिकों की सक्षम व्यक्ति से मुलाकात न हो पाना और फिर बुझे मन से वापस होने की समस्या लगभग हमेशा ही दिखाई देती रही है। इसके समाधान के रूप में बराबर के जनपद सहारनपुर में कमिश्नर के पद पर रहकर भरपूर प्रशंसा नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्राप्त करने के अतिरिक्त सरकार की नीतियों और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुकूल काम को अंजाम देने में सफल रहे वर्तमान में मेरठ मंडलायुक्त की जनहित की इस कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है।

इससे संबंध एक खबर के अनुसार आयुक्त मेरठ मंडल ने बताया कि प्रायः मण्डल के जनपदों से जनसामान्य एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलने हेतु प्रयास किये जाते है। इन्हे सुनियोजित करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित की जाती हैः-व्हाट्स ऐप मोबाइल नं0-9286324303 एवं एसएमएस के माध्यम से स्थापित किया जायेगा। व्हाट्स ऐप मोबाइल नं0-9286324303 नम्बर का संचालन कैम्प सहायक/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा। व्हाट्स ऐप/एसएमएस का संचालन कैम्प कार्यालय पर स्थित कम्प्यूटर एवं लैपटॉप से किया जायेगा।

मिलने हेतु प्राप्त अनुरोध प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे तक प्राप्त किये जायेगें एवं प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे में प्राप्त संदेशो पर उसी दिन एपोइंटमेंट दिया जायेगा तथा दिनध्समय निर्धारित किया जायेगा। सांय 05 बजे के बाद प्राप्त संदेशो पर कार्यवाही अगले दिन प्रातः 09बजे से सांय 05 बजे की जायेगी। कार्यालय दिवसों में ही सामान्यतः प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक भेंट/सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा। शासकीय कार्यों की व्यस्थता के कारण उनकी अनुपस्थिति में अपर आयुक्तों द्वारा भेंट/सुनवाई की जायेगी।

इस मोबाइल नंबर 9286324303 पर अन्य कोई कार्य एवं कॉल स्वीकार नहीं की जायेगी। निम्न प्रारूप पर आवेदनकर्ता का विवरण अंकित किया जायेगा- नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नं0, विषय। अगर ध्यान से देखे और सोचे तो मंडलायुक्त के इस कार्य से जहां सरकार की जनहित की नीतियों का लाभ पात्रों को मिलने का मार्ग प्रस्त होगा वहीं आम आदमी के समक्ष आने वाली नई नई समस्याऐं का समाधान तथा जो सरकारी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के तहत या सरकार नीति लागू करने का काम नहीं कर रहे है उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है। और अफसरों से मिलने आने वाले नागरिकों को मायूस होकर वापस नहीं लौटना पड़ेगा वो अपनी बात मंडलायुक्त के समक्ष रख संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में भी सफल रहेंगे।

खेल, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का मॉडल बनेगा मेरठ

शहर को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के लिए मुख्यमंत्री के लखनऊ में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ को खेल, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार की प्रेरणादायी नगरी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। करीब डेढ़ महीने बाद मुख्यमंत्री खुद मेरठ आकर प्रगति की समीक्षा करेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से औद्योगिक विकास तक की यात्रा में मेरठ महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। खेल उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता के कारण इसकी विशेष पहचान है। यातायात बेहतर करने के लिए जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण और नगर निगम को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। सीवर निस्तारण के लिए एसटीपी अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ड्रेनेज को प्राकृतिक व्यवस्था से जोड़ना अधिक प्रभावी होगा।

10 जून से शुरू हो सकता संपर्क मार्ग

मेडा का दावा, रेलवे व बागपत रोड के बीच 31 मार्च तक पूरा होना था मार्ग का निर्माण

संपर्क मार्ग निर्माण कार्य सरकारी विभागों की 825 लचर कार्यशैली का जीता जागता उदाहरण बन गया है। शहर की जनता को जाम से राहत दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने रेलवे रोड और बागपत रोड के बीच संपर्क मार्ग निर्माण का जो प्रयास किया था उसे अधिकारियों की लापरवाही ने पलीता लगा दिया है। 32 करोड़ रुपया खर्च करके जब संपर्क मार्ग लगभग बनाकर तैयार कर लिया गया, तब अफसरों को याद आया कि संपर्क मार्ग के एक मुहाने पर खड़े अस्पताल के भवन के कुछ भाग को हटाया जाना है। इसके बदले अस्पताल स्वामी को मुआवजा दिया जाना है।मार्ग निर्माण की समय सीमा 31 मार्च पूरी होने के बाद अस्पताल भवन और उसकी जमीन के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अब इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए संपर्क मार्ग को शुरू करने की नई तारीख 10 जून दी गई है।रेलवे रोड और बागपत रोड के बीच 825 मीटर लंबे संपर्क मार्ग को शहर की लाइफ लाइन का नाम दिया जा रहा है। इसके लिए सेना से जमीन लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। जमीन के बदले रक्षा मंत्रालय को 26 करोड़ रुपया का भुगतान भी किया गया। इसके बाद छह करोड़ की लागत से संपर्क मार्ग का निर्माण शुरू किया गया। 31 मार्च 2025 समीप आया के निर्माण विभाग ने याद दिलाया कि मार्ग तो लगभग बनकर तैयार है, लेकिन उसे बागपत रोड से मिलाने के लिए वहां खड़ी आशीर्वाद अस्पताल की बिल्डिंग का लगभग 12 मीटर चौड़ा हिस्सा हटाया जाना है। इसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के अधिकारियों को इस बाधा की याद आई। मंथन के बाद तय किया गया कि आवश्यक भूमि और उस पर बने भवन का मूल्यांकन कराकर उसका मुआवजा अस्पताल मालिक को दिया जाएगा।

• संपर्क मार्ग की सड़क का अधिकाश हिस्सा तैयार है

मुआवजा निर्धारण के लिए मेडा के सचिव, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन तथा सदर तहसील के एसडीएम की संयुक्त समिति का गठन किया गया। मेडा बोर्ड से मुआवजा भुगतान का प्रस्ताय पास कराया गया। उस बोर्ड मीटिंग का कार्यवृत्त जारी होने में एक महीने का समय लग गया। लगभग एक सप्ताह पहले संयुक्त समिति ने अस्पताल पर पहुंचकर सर्वे किया लेकिन भवन का मानचित्र नहीं मिल पाया। जिसके बाद दो दिन पहले ही यह सर्वे पूरा किया गया है।

अस्पताल की ली जाएगी 60 वर्ग गज जमीन मूल्यांकन जल्दः सचिव

मेडा सचिव ने दावा किया कि तहसील की टीम ने भूमि की पैमाइश पूरी करके रिपोर्ट दे दी है। जिसके मुताबिक अस्पताल की 60 वर्ग गज जमीन ली जानी है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि अस्पताल भवन का कितना हिस्सा हटाया जाना है। भवन के उक्त हिस्से का मूल्यांकन अब पीडब्ल्यूडी से कराया जाएगा। दो दिन में मूल्यांकन कार्य पूरा करके एक सप्ताह के भीतर अस्पताल मालिक को मुआवजा राशि देने का प्रयास है। हर हालत में 10 जून तक भवन का आवश्यक हिस्सा हटाकर संपर्क मार्ग शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। पीडब्ल्यूडी केअधिशासी अभियंता सतेन्द कुमार का कहना है कि उनकी ओर से निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब मेडा को अस्पताल भवन का हिस्सा हटवाना है। जैसे ही यह हिस्सा हटेगा वह तत्काल अमुक स्थान प्रेर भी निर्माण कार्य करा देगे।

आशीर्वाद अस्पताल के इस भवन का कुछ हिस्सा हटाया जाएगा

अब घर पर प्रिंट कर सकते हैं सौ रुपये तक का ई-स्टांप

स्टांप पेपर खरीदने के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं है। नई व्यवस्था के मुताबिक 100 रुपये तक राशि का ई-स्टांप घर पर बैठकर ही प्रिंट किया जा सकता है। एआइजी निबंधन ने बताया कि इसके लिए www.shcilestamp.com पर जाकर आनलाइन भुगतान पर क्लिक करें। यहां अभी पंजीकरण को चुने और मामूली जानकारी उपलब्ध कराकर पंजीकरण को पूरा करें। प्रोफाइल सक्रिय करके मोबाइल नंबर के माध्यम से साइन इन करें। अनुमति प्रदान करते ही उपयोगकर्ता की प्रोफाइल वेबसाइट पर सक्रिय हो जाएगी। लाग इन करके 'स्टांप शुल्क का भुगतान करें' को चुनें।

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), has announced expansions to the Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS), enhancing financial support available to India's innovation ecosystem

The CGSS scheme provides guarantees for credit instruments extended to startups by Scheduled Commercial Banks, All India Financial Institutions, Non-Banking Financial Companies, and SEBI-registered Alternative Investment Funds.

The primary objective of CGSS is to facilitate collateral-free debt funding for eligible startups through various financial instruments including working capital, term loans, and venture debt.

The ceiling on guarantee cover per borrower under the scheme has been doubled from Rs. 10 crore to Rs. 20 crore.

Additionally, the government has increased the extent of guarantee coverage to 85 percent of the default amount for loans up to Rs. 10 crore and 75 percent for loans exceeding Rs. 10 crore.

The expanded scheme aims to address the financing challenges faced by innovation-driven startups by reducing perceived lending risks, thereby encouraging more financial institutions to provide credit support.

In a targeted move to strengthen India's manufacturing capabilities, the Annual Guarantee Fee (AGF) for startups in 27 Champion Sectors has been reduced from 2 percent to 1 percent per annum.

These sectors, identified under the 'Make in India' initiative, are expected to benefit from more attractive funding conditions, which should stimulate innovation in domestic manufacturing

Tax refund scheme for exports extended to EoUs, SEZ units

The Indian government has reinstated the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme benefits for Export Oriented Units (EoU), Advance Authorisation (AA) holders, and Special Economic Zone (SEZ) units, effective June 1, 2025.

The government extended the benefits of tax refund scheme –Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) — to Export Oriented Units (EoU), Advance Authorisations (AA) holders and units in Special Economic Zones (SEZs).

The benefits of the scheme to the EoU, SEZ and AAs will be applicable from June of this year, a notification by the Directorate General of Foreign Trade said. These categories of exporters have been brought under the scheme after a gap of six months.

RoDTEP for SEZs, EoUs and AAs had expired on December 31,2024 and since then exporters had been seeking restoration of the benefits in view of the emerging world trade situation after the US President Donald Trump inaugurated a global tariff war.

The RoDTEP scheme is designed to refund duties, taxes and levies at the central, state and local level that get added to the cost of products meant for exports. It is a replacement for the Merchandise Exports from India scheme which along with other export promotion schemes were successfully challenged at the World Trade Organization by the US. The rate of refund ranges from from 0.3% to 3.9% of the value of product exported.

The scheme, which was first introduced in 2021, covers exports of 10,642 products. It has seen many extensions and modifications since it was first introduced. It was last extended on September 30 last year for a year. However, for SEZs, EoUs and AAs the extension was only till 2024-end.

The incentive is paid in the form of transferable duty credit scrip which can be used to pay import duties or sold in the market by exporters. The RoDTEP scheme operates under a budgetary framework.

“The restoration of RoDTEP benefits to Advance Authorisation, EOU and SEZ exporters will not only ensure level playing field for these entities but also boost price competitiveness of their products in international markets. This is a vital support at a time when Indian exporters are navigating intense global competition and demand uncertainties. It will certainly help in pushing exports and improving India’s share in global trade”

Govt’s equity infusion scheme for MSMEs crosses Rs 10,000 crore in investments: MSME Ministry

Announced in 2020, the scheme was set up to infuse Rs 50,000 crore as equity funding in MSMEs with the potential and viability to grow and become large units.

The Self Reliant India (SRI) Fund scheme, which supports MSMEs with equity infusion, has invested around Rs 10,979 crore in 577 MSMEs as of March 2025 since its launch. Announced in 2020, the scheme was set up to infuse Rs 50,000 crore as equity funding in MSMEs with the potential and viability to grow and become large units. The scheme has a provision of Rs 10,000 crore from the government and Rs 40,000 crore through private equity and venture capital funds.

The year-on-year investment under the scheme in MSMEs has jumped from Rs 3,306 crore in 107 enterprises in FY24, Rs 3,007 crore in 250 enterprises in FY23, and Rs 1,335 crore in 75 units in FY22, according to the data from the MSME Ministry.

Among states, Karnataka led the tally with the highest count of 151 investee companies followed by 144 companies in Maharashtra, 69 in Delhi, 49 in Haryana, 39 in Telangana, and more.

Registered as an Alternative Investment Fund (AIF) with Securities and Exchange Board of India (SEBI), SRI Fund commits to other SEBI registered AIF Categories I & II and operates on a mother-fund and daughter-fund structure for equity or quasi-equity investment in MSMEs. The fund has empanelled 60 daughter funds.

Meanwhile, to boost credit for MSMEs, the government in this year’s budget had doubled the turnover classification and enhanced the investment limit to 2.5 times. The revised definition had effectively brought enterprises with turnover up to Rs 500 crore from earlier Rs 250 crore into the MSME ambit and made them eligible for various schemes including credit guarantee programme under the MSME Ministry.